

पत्रांक 145203
पटना,
प्रेषक, गगन वि० 8 (40) - 22/2013

दिनांक 10/04/2013

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गया, औरंगाबाद, बेगूसराय, जमुई, मुजफ्फरपुर,
पश्चिम चंपारण, नालंदा, सीतामढ़ी एवं वैशाली ।

महाशय,

आप अवगत हैं कि मनरेगा के अंतर्गत कार्य की माँग करने वाले मजदूरों की ऑनलाईन माँग सृजन का दायित्व वसुधा केन्द्रों को दिया गया है । तदनुसार उन्हें Kiosk की सुविधा देकर User ID एवं Password दिया गया है ।

2. आप यह भी अवगत हैं कि सृजित माँग के अनुरूप 15 दिन के अंदर रोजगार देना मनरेगा तंत्र की जिम्मेदारी है ।

3. समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि संलग्न विवरणी के अनुसार ग्राम पंचायतों में वसुधा केन्द्र के माध्यम से सृजित माँग को Delete कर दिया गया है ।

4. इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृजित माँग के अनुरूप कार्य तो नहीं ही दिया बल्कि बेराजगारी भत्ते का भी भुगतान नहीं किया । यह मनरेगा अधिनियम की धारा-25 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है । यह संबंधित मनरेगा कर्मियों की अधिनियम के कार्यान्वयन में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास है ।

5. सम्यक विचारोपरांत विभाग के स्तर से यह निर्णय लिया गया कि ऐसे पंचायत रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण प्राप्त करके एक महीने के अंदर उन्हें पदमुक्त करने के बिन्दु पर विभाग को अवगत कराएं ।

6. संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी को पर्यवेक्षण के अभाव को प्रथमतः दोषी मानते हुए उनसे भी स्पष्टीकरण प्राप्त करके एक महीने के अंदर इनके विरुद्ध भी उचित कार्रवाई करने का निर्णय लें और विभाग को अवगत कराएं ।

7. भविष्य में आपके स्तर से सघन अनुश्रवण होना चाहिए और सृजित माँग के Deletion का कोई दृष्टांत नहीं होना चाहिए । यह अत्यंत ही गंभीर मुद्दा है, जिसे जिले के उच्चतम स्तर से प्रभावकारी कार्रवाई अनिवार्य है ।

विश्वासभाजन


2.4.13

(अमृत लाल मीणा)